

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-12) विभाग

क्रमांक : प.21(58)गृह-12/कारा/76पार्ट

जयपुर, दिनांक

7th AUG 2015

:: आदेश ::

राज्य के समस्त कारागृहों/उपकारागृहों में निरुद्ध बंदियों को प्रातः काल दिए जाने वाले नाश्ते की एकरूपता के स्थान पर प्रतिदिन भिन्न-भिन्न प्रकार का नाश्ता दिए जाने के कारागार विभाग के प्रस्तावानुसार नाश्ते के मेनु में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निम्न वर्णित नाश्ते में से प्रतिदिन आईटम बदल-बदल कर कोई एक आईटम बंदियों को नाश्ते में प्रदान किया जावेगा:-

क्र.सं.	आईटम का नाम	श्रमिक बंदी	अश्रमिक बंदी
1.	मीठी थूली	60 ग्राम	60 ग्राम
2.	पोहा	60 ग्राम	60 ग्राम
3.	अंकुरित चना/मूंग	60 ग्राम	60 ग्राम
4.	नमकीन खिचड़ी	60 ग्राम	60 ग्राम
5.	काला चना	60 ग्राम	60 ग्राम

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

1. संशोधित नाश्ते पर होने वाला व्यय वर्तमान बजट प्रावधान से वहन किया जावेगा। अतिरिक्त बजट आवंटन के प्रस्ताव आर.ई. 2015-16 के समय वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप प्रस्तुत करने होंगे।
2. व्यय किये जाने के समय प्रासंगिक नियमों/निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना विभाग को सुनिश्चित करनी होगी।
3. उक्त संशोधन आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति आई. डी.संख्या 101502784 दिनांक 24.07.15 के अनुसरण में जारी किया जा रहा है। विभाग द्वारा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

Sd/
(के0के0शर्मा)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. महानिदेशक कारागार, राज0, जयपुर को पत्रांक सामान्य/10/64-65/पार्ट-III/400 दिनांक 06.04.15 के क्रम में।

2. रक्षित पत्रावली।

Sd/
उप शासन सचिव